

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम झुंझुनू

सरकार की पेशे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा भीम सिंह पुत्र सोहन सिंह

किस्म मुकदमा PSSA नं. 44 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.09.2022	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>ज. 17</i> अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू</p>	
21.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने न्यू जोधपुर स्वीट होम, के नाम से ओम टॉवर मण्डावा मोड़, झुंझुनू में मिठाई की दूकान कर रखी है। जहां वह मिठाई बनाकर बेचान करता है। अनावेदक के यहां से खाद्य प्रदार्थ मावा का सेम्पल लिया गया था। जिसे वह बाजार से दूध खरीदकर बनाता है। अनावेदक अपने स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता है, अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1887/एक्ट/2022/1878 दिनांक 19.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपने न्यू जोधपुर स्वीट होम पर स्वयं तैयार कर मावा का बेचान करता है तथा दूकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मावा के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री भीम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राजपुरोहित, मालिक विक्रेता न्यू जोधपुर स्वीट होम, ओम टॉवर मण्डावा मोड़, झुंझुनू को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (2) (II) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 1000/- एक हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बकाया तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू</p>	<p style="text-align: right;"><i>भीम सिंह</i></p>